

कार्यालय: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिद्धार्थनगर।
विज्ञप्ति

उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के पत्र संख्या 2616/एसएलएसए-121/2024 दिनांकित 24 जुलाई 2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से यह अवगत कराया गया था कि जनपद कानपुरनगर, श्रावस्ती, शाहजहाँपुर, बस्ती, कानपुर देहात, सहारनपुर, सुल्तानपुर, उन्नाव, इलाहाबाद, गोरखपुर, बागपत, प्रतापगढ़, अलीगढ़, हमीरपुर, जी0वी0 नगर, हरदोई, विजनौर, महाराजगंज एवं बुलन्दशहर के स्थायी लोक अदालतों में रिक्त अध्यक्षों के पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा प्रारम्भ की गई है।

उक्त के अनुक्रम में उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के पत्र संख्या 2958/एसएलएसए-121/2024 दिनांकित 14 अगस्त 2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि माननीय कार्यपालक अध्यक्ष महोदय द्वारा पूर्व में जारी 19 जनपदों में स्थायी लोक अदालतों में अध्यक्ष के रिक्त पदों को भरने संबंधी विज्ञापन को निरस्त किया गया है तथा 20 जनपदों (कानपुरनगर, श्रावस्ती, शाहजहाँपुर, बस्ती, कानपुरदेहात, सहारनपुर, इलाहाबाद, गोरखपुर, हमीरपुर, विजनौर, महाराजगंज, बुलन्दशहर, सन्तकबीर नगर, महोबा, रामपुर, फरूखाबाद औरैया, कुशीनगर, कौशाबी एवं कासगंज) में स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र प्राप्त करने के संबंध में नवीन विज्ञापन (छायाप्रति संलग्न है) को अनुमोदित किया गया है।

उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा उक्त पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु विज्ञापन की प्रति इस आशय से संलग्न कर प्रेषित की गई है कि उक्त को अपने जनपद के सूचना अधिकारी के माध्यम से स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाते हुए समाचार पत्र की कटिंग उपलब्ध कराने तथा इसके साथ ही विज्ञापन को जनपद न्यायालय सिद्धार्थनगर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने एवं एक प्रति जिला बार एसोसियेशन को उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई है।

अतः उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के पत्र संख्या 2958/एसएलएसए-121/2024 दिनांकित 14 अगस्त 2024 के अनुपालन हेतु उक्त पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु विज्ञापन की प्रति उपलब्ध करायी जा रही है।

संलग्नक: विज्ञप्ति एवं आवेदन का प्रारूप।

प्रतिलिपि:-

1- अध्यक्ष, सिविल सिद्धार्थ बार एसोसियेशन, सिद्धार्थनगर को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति एवं आवेदन का प्रारूप को सिविल सिद्धार्थ बार एसोसियेशन के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराये।

2- अध्यक्ष, जिला बार एसोसियेशन, सिद्धार्थनगर को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति एवं आवेदन का प्रारूप को जिला बार एसोसियेशन के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराये।

3- जिला सूचना अधिकारी, सिद्धार्थनगर को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे उक्त विज्ञप्ति को निःशुल्क जनहित में जनपद सिद्धार्थनगर के स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराना सुनिश्चित करें।

4- केन्द्रीय नाजिर, सिद्धार्थनगर को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह उक्त विज्ञप्ति एवं आवेदन का प्रारूप को जनपद न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराये।

5- सिस्टम आफिसर/असिस्टेन्ट कम्प्यूटर अनुभाग, जनपद न्यायालय सिद्धार्थनगर को उक्त विज्ञप्ति एवं आवेदन का प्रारूप जनपद न्यायालय के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


(मनीज कुमार तिवारी)

अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
सिद्धार्थनगर।

संजय सिंह-1, एच0जे0एस0
सदस्य सचिव



उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

(विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अन्तर्गत)

सेवा में,

समस्त जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
अन्तर्गत उ0प्र0।

पत्रांक: 2958/एसएलएसए-121/2024(क्र/हैदर)

दिनांक: अगस्त 14, 2024

विषय: 20 जनपदों में स्थायी लोक अदालतों में रिक्त अध्यक्षों के पदों पर नियुक्ति हेतु नवीन विज्ञापन को समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने, जिला न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाने एवं विज्ञापन की प्रति जिला बार एसोसियेशन को उपलब्ध कराने के संबंध में।

महोदया/महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पूर्व प्रेषित पत्र संख्या 2616/एसएलएसए-121/2024(हैदर), दिनांकित 24.07.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से आपसे अनुरोध किया गया था कि 19 जनपदों में स्थायी लोक अदालतों में अध्यक्ष के रिक्त पदों पर नियुक्ति के संबंध में आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु विज्ञापन के प्रकाशन के संबंध में दिशा-निर्देश पारित किये गये थे।

उक्त के अनुक्रम में आपको अवगत कराना है कि माननीय कार्यपालक अध्यक्ष महोदय द्वारा पूर्व में जारी 19 जनपदों में स्थायी लोक अदालतों में अध्यक्ष के रिक्त पदों को भरने संबंधी विज्ञापन को निरस्त किया गया है तथा 20 जनपदों में स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र प्राप्त करने के संबंध में नवीन विज्ञापन (छायाप्रति संलग्न) को अनुमोदित किया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि पूर्व में प्रेषित विज्ञापन को निरस्त करते हुये संलग्न नवीन विज्ञापन को अपने जनपद के सूचना अधिकारी के माध्यम से स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाते हुए समाचार पत्र की कटिंग इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, इसके साथ ही संलग्न विज्ञापन को जनपद न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने एवं एक प्रति जिला बार एसोसियेशन को उपलब्ध कराने तथा प्रमाणक इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का भी कष्ट करें।

सादर।

भवदीय

संलग्नक: यथोक्त।

(संजय सिंह-1)
सदस्य सचिव

तृतीय तल, जवाहर भवन एनेक्सी, लखनऊ-226001

फोन (फैडो) : 2286395, 2286265 (फैक्स) : 0522-2286260, 2287972 ई-मेल : upslsa@up.nic.in वेब साइट : www.upslsa.up.nic.in

टोल फ्री नं. 1800 419 0234

Uttar Pradesh State Legal Services Authority
3rd Floor, Jawahar Bhawan Annexe, Lucknow

Website: www.upslsa.up.nic.in

E-mail: upslsa@nic.in

Date of Advertisement: 16-08-2024

Last Date of submission of application: 15-09-2024

up to 05:00 PM

Advertisement

1- U.P. State Legal Services Authority invites fresh application from eligible Indian Nationals for selection/appointment on the post of Chairpersons, Permanent Lok Adalats (PLA) established under section 22 B, Legal Services Authorities Act, 1987 in the following districts:-

Kanpur Nagar	Shravasti	Shahjahanpur	Basti
Kanpur Dehat	Saharanpur	Allahabad	Gorakhpur
Hamirpur	Bijnor	Maharajganj	Bulandshahar
Sant Kabir Nagar	Mahoba	Rampur	Farrukhabad
Auraiya	Kushi Nagar	Kaushambi	Kasganj

Note- The previous advertisement for the post of PLA, Chairperson in 19 districts is hereby Cancelled.

Terms & Conditions

2- The terms and conditions of service shall be governed as per provision of G.O. Nos. 197/Saat-nyay-7-2008-47/2002, dated 26-03-2008; 827/Saat-nyay-7-2014-47/2002, dated 18-11-2014 and 02/2018/661/saat-nyaya-7-2018-47/2002, dated 30-01-2018 and the eligibility criteria under section 22 B (2) (a) of the Legal Services Authorities Act, 1987, which is as follows:-

- (i) A person who is, or has been a District Judge or Additional District Judge or has held judicial officer higher in rank than that of District Judge shall be eligible for the post of Chairman of the Permanent Lok Adalat.
- (ii) The applicant should not have retired before two years from the date of advertisement similarly, the currently working (Judicial Officers) applications may apply only if they will be retiring before next of 06 months from the date of advertisement.
- (iii) The Total period of office shall not exceed 05 years or the attainment of the age of 65, whichever is earlier.
- (iv) The selected Applicant shall not be entitled to the extension of time to join at the place of offered posting on the ground of his term of Judicial Office still subsisting. He/she should have resigned from his Judicial Office on or before the date of offer of appointment.

(vi) Judicial Officers against whom departmental and/or vigilance enquiry is pending or who have been punished may be excluded from the zone of consideration.

(vii) The Selection to the post of Chairman shall be on merit based on interview, service records, confidential remarks, his/her character, general conduct and reputation. The Selection Committee shall adjudge the suitability and fitness of the candidate on the basis of interview. The Selection Committee is also authorized to decide the suitability of the candidate on the basis of scrutiny and/or evaluation of all the documents.

(viii) The terms and conditions of the service of Chairpersons of the Permanent Lok Adalats (PLA) including the resignation and removal of such persons shall be governed by the terms and conditions outlined in Notification F.No. A 60011(3) 2001-Admin, III (PLA) dated 2nd January, 2003 of the ministry of Law and Justice, Government of India and other relevant rules applicable to the government servants enforcee.

(ix) The Chairperson before appointment shall have to furnish an undertaking that does not and will not have such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as such Chairperson.

(x) The Chairperson may be transferred from one district to other district on administrative ground/ exigency and/or public interest with the approval of the Executive Chairman, UPSLSA.

(xi) The Chairpersons shall be entitled to receive the salary etc. as per G.O. Nos.: 197 Saat-nyay-7-2008-47/2002, dated 26-03-2008; 827 Saat-nyay-7-2014-47/2002, dated 18-11-2014 and 02/2018-661/saat-nyaya-7-2018-47/2002, dated 30-01-2018 which provides "अन्तिम आहरित वेतन में से पेंशन की धनराशि को घटाते हुये वेतन तथा उस पर राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमन्य महंगाई भत्ता"।

(xii) The eligible applicants shall submit their applications in the prescribed format and send the same to the official address of UPSLSA i.e. The Member Secretary, UP State Legal Services Authority, 3rd floor Jawahar Bhawan Annex, Lucknow. In case of any problem/enquiry may be made on following number of UPSLSA: 0522-2286395 (off.)

(xiii) Interview date will be Communicated informed individually on the email as provided.

(xiv) Signature of the candidate and the declaration made by him/her (in the application form) is mandatory. An application form in absence of the signature at any of the above indicated places shall result in non consideration or rejection of his/her candidature.

(xv) The last date for submission of application form 15-09-2021 by 05:00 P.M. Application received after the said date shall not be considered.

(Sanjay Singh-I)

Member Secretary

Application (Proforma) for the Post of Chairman, Permanent Lok Adalats
(Established under section, 228 of the Legal Services Authorities Act, 1987)
(To be filled personally by the applicant)

1. Name (Capital Letters)
2. Father's Name /W/o:
3. Present Address:

- Mobile No & Landline No:
- E-mail ID:
5. Date of Birth:
6. Educational Qualification:
7. Whether presently in the judicial services or holding any judicial office Y/N):
- a- If yes, then present place of posting along with the designation:
- b- If no, then date of retirement and post help at the time of retirement:.....
- c- Present employment, if any:
8. Whether subject to any disciplinary action during service or any disciplinary proceeding is presently pending (Y/N):
9. Whether any criminal proceeding is pending against applicant (Y/N)
 If, yes, then provide details:.....
10. Experience if any of having worked in any Legal Services Institution (DLSA):.....
11. Any other special qualification/achievement:
12. Preference for the posting (name of the district in the order of preference):
 1-.....2-.....3

Please Affix
Photo here

Signature of the applicant

I, hereby, declare that above information furnished by me is correct and if anything is found to be incorrect my candidature may be cancelled.

Signature of the applicant

Date:

Place: